दिनांक 18.08.2015 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित कृषि उत्पादन बाजार समिति(वि0) प्रांगण में निर्मित/निर्माणाधीन गोदाम की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, बिहार, पटना।
2. प्रबन्ध निदेशक, बिहार, राज्य भंडार निगम, बिहार, पटना।
3. विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना।
4. सहायक निदेशक (सां0)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, कृषि विपणन कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

कार्यवाही :–

प्रभारी पदाधिकारी, कृषि विपणन कोषांग द्वारा बताया गया कि माननीय मंत्री, कृषि के निदेश के आलोक में विभाग द्वारा बाजार समिति(वि0) के प्रांगण में केन्द्रीय भण्डारण निगम, बिहार राज्य भंडारण निगम एवं बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार द्वारा गोदाम निर्माण हेतु आवंटित भू–खण्ड पर गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति की मांग सम्बन्धित एजेन्सियों से किये जाने के पश्चात एजेन्सियों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी संकलित प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम को छोड़कर शेष एजेन्सी द्वारा आवंटित भू–खण्ड से अधिक बाजार समिति (वि0) के प्रांगण में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

एजेन्सीवार गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई जो निम्नवत है :–

1. **केन्द्रीय भंडारण निगम** :–कृषि विभाग के पत्रांक–1251 दिनांक 01.03.2012 द्वारा गोदाम निर्माण हेतु सात बाजार समिति (वि0) के प्रांगण में भू–खण्ड लीज पर उपलब्ध कराया गया है। इनके द्वारा मात्र तीन स्थान (मुंगेर, बेतिया एवं खगड़िया) पर गोदाम निर्माण का कार्य कराया गया है। मुंगेर में 3 एकड़ के स्थान पर 3.40 एकड़ में एवं खगड़िया में 3.00 एकड़ के स्थान पर 4.00 एकड़ में गोदाम का निर्माण कराया गया है अभी भंडारण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष स्थानों के सम्बन्ध में पृच्छा के क्रम में निगम द्वारा बताया गया कि उन चार स्थान के जगह पर मधेपुरा, सुपौल, चकिया एवं हाजीपुर में भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, विपणन कोषांग द्वारा बताया गया कि जिलों के अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त हुआ है, आगे की कारवाई की जा रही है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा बताया गया कि वर्ष 1979 में विभाग द्वारा 30 वर्षों के लिये आठ गोदाम लीज पर दिया गया जिसकी अवधि वर्ष 2009 में समाप्त हो गया, उसके नवीकरण हेतु अनुरोध किया गया है, जो अबतक नहीं हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पृच्छा के आलोक में बताया गया कि निगम से लीज की प्रति की मांग की गई, इनके द्वारा लिखित बताया गया कि लीज की प्रति उपलब्ध नहीं है।

निदेश दिया गया कि लीज की प्रति नवीकरण हेतु उपलब्ध कराई जाय ताकि लीज के Terms & Condition की जानकारी हो सके।

2. **बिहार राज्य भंडार निगम** :– कृषि विभाग के पत्रांक--4493 दिनांक 29.08.2012 द्वारा 14 (चौदह) बाजार समिति के प्रांगण में गोदाम निर्माण हेतु भू–खण्ड उपलब्ध कराया गया है। निगम द्वारा बताया गया कि बिहिया को छोड़कर शेष स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है।

निगम द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि जिन 13 स्थानों में निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें 6 स्थानों पर आवंटित भू–खण्ड से अधिक भू–खण्ड में गोदाम निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा बिना भू–खण्ड आवंटन के निगम द्वारा अन्य 8 स्थानों पर भी गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

गोदाम निर्माण हेतु फंड के सम्बन्ध में पृच्छा के क्रम में बताया गया कि 178 करोड़ नार्बाड से कर्ज लिया गया है, साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि गोदाम को अन्य एजेन्सी को किराये पर दिया जाता है।

राज्य भंडार निगम द्वारा एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गई जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि निगम द्वारा कुल–35 स्थानों पर गोदाम निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें मात्र 14 स्थानों पर ही विभाग द्वारा निगम को भू–खण्ड उपलब्ध कराया गया है। निगम द्वारा बताया गया कि गया, नोखा, किशनगंज एवं मुरलीगंज बाजार समिति (वि0) प्रागंण में भू–खण्ड उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अब उपलब्ध नहीं कराया गया। पृच्छा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, विपणन कोषांग द्वारा बाताया गया कि जिलो से अभी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

निगम द्वारा बताया गया कि आरा, सासाराम एवं लखीसराय में गोदाम निर्माण स्थल पर कुछ समस्यायें हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य बाधित है। निदेश दिया गया लिखित रूप में समस्या से अवगत कराई जाय।

3. **राज्य खाद्य निगम** :– कृषि विभाग के पत्रांक 5959 दिनांक 26.08.2011 द्वारा राज्य खाद्य निगम को कुल–40 बाजार समिति (वि0) प्रांगण में गोदाम निर्माण हेतु भू–खण्ड उपलब्ध

कराया गया है, परन्तु निगम द्वारा आवंटित चालीस बाजार समिति (वि0) प्रांगण के अतिरिक्त बिना विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 10 (दस) बाजार समिति के प्रांगण में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

4. **बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0** – बैठक में भाग लेने हेतु ई–मेल एवं दूरभाष से भी अनुरोध किया गया था, परन्तु कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिये, जो खेद का विषय है। जिसके कारण निगम द्वारा गोदाम निर्माण की समीक्षा भी नहीं हो सका।

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार राज्य भंडार निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम एवं भारतीय खाद्य निगम को बाजार समिति के प्रांगण में जमीन खाद्यान्न भण्डारण गोदाम निर्माण के लिये ही दिया जाना है।

विभाग को प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि बाजार समिति (वि0) किशनगंज के प्रांगण ने 4.01 एकड़ में राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा दो गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है एवं बाजार समिति (वि0), छपरा के प्रांगण मे एक गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है, बिना विभाग द्वारा भू–खण्ड आवंटन के यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

प्रधान सचिव, कृषि द्वारा बताया गया कि बाजार समिति (वि0) के भू–खण्ड पर स्वामित्व कृषि विभाग का है, कृषि विभाग द्वारा बिना भू–खण्ड उपलब्ध कराये जो भी निगम द्वारा गोदाम निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह अवैध है। साथ ही सभी उपस्थित निगम के प्रतिनिधि से कहा गया कि बाजार समिति के प्रांगण में विभाग द्वारा निर्मित गोदाम की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर कोई निगम उसे Repair कराकर उपयोग में ला सकता है, तो विभाग से अनुरोध करने पर उसे निगम को हस्तांतरित करने पर विचार किया जायेगा। इससे लाभ यह होगा कि निगम को गोदाम निर्माण कार्य कराने में जो व्यय होगा उससे कम व्यय Repair करने पर होगा। बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा इच्छा व्यक्त किया गया कि वे ऐसे गोदाम लेने को इच्छुक है।

प्रभारी पदाधिकारी, विपणन कोषांग को निदेश दिया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी से बाजार समिति प्रांगण में विभाग द्वारा निर्मित गोदाम की संख्या, क्षमता एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त किया गया।

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :कृ0नि0वि0को0–27/2015 4481 /कृ0, पटना, दिनांक 09 सितंबर अगस्त, 2015

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक–A, द्वितिय तल, डाक बंगला रोड, पटना E-mail: rmpat.cwhc@nic.in/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, बी0–ब्लॉक, प्रथम मंजिल, मौर्यालोक, पटना E-mail: mdbswc@gmail.com /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, 5 वी0 मंजिल, वीरचंद पटेल पथ, पटना E-mail: sfcpgrms@gmail.com/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, हॉस्पिटल रोड, शास्त्रीनगर, पटना E-mail: kumar.ganga@nic.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : कृ0नि0वि0को0–27/2015 4481 /कृ0, पटना, दिनांक 09 सितंबर अगस्त, 2015
प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : कृ0नि0वि0को0–27/2015 4481 /कृ0, पटना, दिनांक 09 सितंबर अगस्त, 2015
प्रतिलिपि– सचिव, खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : कृ0नि0वि0को0–27/2 4481 /कृ0, पटना, दिनांक 09 सितंबर अगस्त, 2015
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कृषि, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक: कृ0नि0वि0को0–27/2015 4481 /कृ0, पटना, दिनांक 09 सितंबर अगस्त, 2015
प्रतिलिपि :–आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा भेजने हेतु प्रेषित।

9/9

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Amit kumar

10/9